राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 78 / 17

किस्म मुकदमा :

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.10.2017

निर्णय दिनांक : 13.11.2017

राजस्थान सरकार बनाम मोहन सिंह पुत्र बाघ सिंह जाति राजपूत नि0 सिंडियास

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पलाड़ा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोहन सिंह पुत्र बाघ सिंह जाति राजपूत निवासी सिंडियास नें ग्राम सिंडियास के खसरा नम्बर 44, 135 कुल किता 2 रकबा 1.34 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाला में से रकबा 0.08 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2074 में डोल लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायल के पुत्र करण सिंह ने प्राप्त कि। गैर सायल उपस्थित हुआ तथा जवाब पेश कर कथन किया की में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिकमण नही किया है।

गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना –पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि गैर सायल ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है । एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम सिंडियास के आराजी राज खसरा नम्बर 44, 135 कुल किता 2 रकबा 1.34 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाला भूमि में से रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि पर

लगातार

तहसीलदार
तहसील कुचामन सिटी (नागौर)

से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर लगाान 0.48 का पच्चास गुणा से राशि 24/– अक्षरे चोबिस रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसार शर्मा)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0

17
2017–18
24